राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–प0नि0 30–52/2015 2157
प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
बेगुसराय।

पटना, दिनांक– 13.5.24

विषय :– प्रखंड वीरपुर के प्रमुख एवं उप प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 924 दिनांक 03.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि **प्रखंड वीरपुर के प्रमुख एवं उप प्रमुख** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना निर्धारित सात दिन पूर्व (तामिला) होने के अन्तर्गत नहीं है, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) तथा बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 16 के प्रावधान का उल्लंघन है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त नियमानुसार आदेश पारित करते हुए प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
13/05/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

8.5.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com

Comp.4E:\ukumar\Panchayat Bye Election_2023\Panchayat Election Letter 2023